सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

10.02.2025 पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ~~अधि~~ अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 ता 04 स्वर्गीय चूड़ा के कुल में ग्राम चमगाणा के खाते खसरा संख्या 537 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 397 रकबा 18 बिस्वा, कुल 23 बीघा 11 बिस्वा वक्त प्रथम सेटलमेन्ट में चूड़ा वल्द रामा की खातेदारी व कब्जा कागज़ात ना आया हुआ था। इसी प्रकार मौजा चमगाणा के खेत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 404 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं 420 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 532 रकबा 11 बिस्वा, कुल [illegible] बीघा 13 बिस्वा में [illegible] खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	वक्त प्रथम सेटलमेन्ट के समय खुड़ा, नेना पुत्र रामा के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित रही हुई थी। जो प्रथम मिसल के तामील श्री) स्वामि स्व० खुड़ा के पांच पुत्र क्रमशः लालाराम, भाकचन्द, कालुराम, ओकाराम, बाबुलाल श्री प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता खुड़ा वर्ष 1982 में निर्वसीयत फौत हो चुके थे, जिस पर उक्त आराजी के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 23.09.1983 व नामान्तरण संख्या 317 दिनांक 23.09.1983 स्व० खुड़ा के पांचों पुत्रों प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के नाम से भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। स्व० खुड़ा के फौत होने के साथ ही खुड़ा की सम्पूर्ण आराजी पुश्तैनी आराजी हो गयी थी। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी 01 ता 04 का समान रूप से 1/5, 1/5 हिस्सा उनके जन्म से ही उक्त पैतृक आराजी में निहित हो गया था। परन्तु वक्त द्वितीय सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारियों को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 ता 04 ने समान रूप से 1/5, 1/5 हिस्से के अनुसार अपने हिस्से में आई आराजी पर कब्जा काश्त अनुसार बटवारा करने का निवेदन किया जिस पर सेटलमेन्ट अधिकारियों ने प्रार्थी ओकाराम के हिस्से में 0.96 हे०, अप्रार्थी लालाराम के हिस्से में 2.00 हे०, अप्रार्थी भाकचन्द के हिस्से में 1.13 हे०, अप्रार्थी [illegible] के हिस्से में 1.80 हे०, अप्रार्थी [illegible] के हिस्से में 1.10 हे० आ[illegible] थी। परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या [illegible] ता 04	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की अपनी हकतैनी संयुक्त खातेदारी आराजी 6.99 है० में से 1.39 हैक्टर प्रत्येक अलॉट की जानी चाहिये थी। परन्तु उक्त भूमि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने अप्रार्थी 01 व 02 से मिलावट कर विधि विरुद्ध रूप से गलत हिस्सा निकाल कर बटवारा किया, जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने अप्रार्थी 01 व 02 को विधि विरुद्ध रूप से फायदा पहुँचाने के लिए प्रार्थी की भूमि को राजस्व रेकर्ड में कम कर 0.96 है० भूमि अमल दरामद की तथा नक्शा ट्रेस में भी अप्रार्थीगण से मिलावट कर अपने हिस्से में कब्जे हुए खेत से भी छोटा नक्शा बनाकर राजस्व रेकर्ड के नक्शे में तरमीम कर ~~दिया~~ 0.22 हैक्टर भूमि कम दर्ज ~~की~~ कर दी। जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण उक्त अवैध व विधि विरुद्ध रूप से किये गये बटवारे की आड में प्रार्थी को उसकी हकतैनी व कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करने पर तुले हुए है तथा उक्त आराजी को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है जिसे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें। अप्रार्थी 01 ता 04 को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं। अतः अप्रार्थी 01 ता 04 का जवाब बन्द [illegible] वकील ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों [illegible] करते हुए [illegible] करने का निवेदन किया। मैंने [illegible] उपरोक्त [illegible] पत्रावली का [illegible] बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	दस्तावेजो का अध्ययन व अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है तथा प्रार्थी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य सबूत भी पेश करने में असफल रहा है अतः इस स्तेज पर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित नहीं मानता हूं। अतः प्रार्थना पर प्रार्थी का एतद्वारा अस्वीकार कर — खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (initials) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner